रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारिता

आपराधिक अपीलीय संख्या 36/2006

राजस्थान राज्य..... अपीलकर्ता

बनाम

भेरू लाल..... प्रतिवादी

<u>निर्णय</u>

दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति

1. वर्तमान अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एकल पीठ दाण्डिक अपीलीय संख्या 659/2002 में पारित निर्णय 9.4.2004 के दोषमुक्ति के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उसने 7.8.2002 को विद्वान विशेष न्यायाधीश, एन. डी. पी. एस. मामले, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को उलट दिया है और प्रत्यर्थी को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त कर दिया है।

2. प्रतिवादी के मुकदमे के लिए अग्रणी, व्यापक एवं आवश्यक तथ्य यह हैं कि 4.4.2001 को लगभग 5.45 p.m. पर परवीन व्यास, अस्थायी प्रभारी S.H.O., पुलिस स्टेशन चित्तौड़गढ़, को एक विश्वसनीय मुखबिर से जानकारी मिली कि प्रतिवादी अपने हीरो होंडा मोटर साइकिल नंबर 5902 पर अवैध अफीम के साथ फखलिया से चित्तौड़गढ़ की ओर आएगा और इसे किसी व्यक्ति को बेचेगा। यह जानकारी डेली डायरी में रिपोर्ट नं. 146 पर दर्ज करते हुए सिपाही देवेंद्र सिंह द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजा गया। इसके बाद, परवीन व्यास ने अन्य पुलिस अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों, अब्दुल करीम और हैदर अली के साथ सरहद खीरी रोड पर एक जाल बिछाया और जब प्रतिवादी एक प्लास्टिक बैग के साथ मौके पर आया, तो उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया गया और उसके बाद, उचित तलाशी के बाद दो पॉलीथीन बैग जिनमें प्रत्येक थैले में 3 किलोग्राम अफीम थी, जब्त की गई। उचित प्रक्रिया के बाद, नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए थे और जांच पूरी करने के बाद, अधिनियम की धारा 8/18 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप-पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया, गलत निहितार्थ का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

4. अभियोजन पक्ष ने अब्दुल रहीम, पीडब्लू-1, परवीन व्यास, पीडब्लू-2, रईस मोहम्मद, पीडब्लू-3, नारायण, पीडब्लू-4, मदन लाल, पीडब्लू-5,

अर्जुन लाल, पीडब्लू-6, मिथु लाल, पीडब्लू-7, रॉड सिंह, पीडब्लू-8, रामेश्वर प्रसाद, पीडब्लू-9, देवेंद्र सिंह, पीडब्लू-10 और कैलाश, पीडब्लू-11 को परीक्षित कराया। अभियुक्त ने डी. डब्ल्यू.-1 भेरू लाल और डी. डब्ल्यू.-2 शांति लाल को परीक्षित कराया।

5. विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य और अन्य सामग्रियों का विश्लेषण करते हुए और अभियोजन और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करते हुए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान करने और जुर्माने का भुगतान के व्यतिक्रम पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

6. दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी। अपील में जो प्रमुख तर्क उठाया गया था, वह यह था कि परवीन व्यास अधिनियम की धारा 42 के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने, जब्ती करने या गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत नहीं था और इसलिए, पूरा मुकदमा आरम्भतः ही अमान्य था। उच्च न्यायालय ने वैधानिक प्रावधान और सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को देखते हुए यह निर्धारित किया कि परवीन व्यास चित्तौड़गढ़ के पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी नहीं थे, क्योंकि रामेश्वर प्रसाद एकमात्र स्टेशन हाउस अधिकारी थे और इसलिए परवीन व्यास के पास कोई

तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं था और इसलिए, पूरा मुकदमा दूषित था। इस दृष्टिकोण के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोषसिद्धि के फैसले को खारिज कर दिया और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।

7. हमने राजस्थान राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल अग्रवाल को सुना। डॉ. मनीष सिंघवी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 42 में प्रयुक्त भाषा और उस संबंध में राजस्थान राज्य द्वारा जारी अधिसूचना की सराहना करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर हो गया है। उनके द्वारा यह आग्रह किया गया है कि थाने के स्टेशन हाउस अधिकारी रामेश्वर प्रसाद थाने से बाहर गए थे और सब-इंस्पेक्टर परवीन व्यास को प्रभार सौंपा था और उन्होंने तलाशी और जब्ती की थी और इसलिए, करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य में संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर प्रावधान का पर्याप्त अनुपालन किया गया है।

8. श्री अतुल अग्रवाल, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता, ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने प्रावधान की सही व्याख्या की है और अधिसूचना के अनुसार केवल पुलिस के उन उप निरीक्षकों को जो स्टेशन हाउस अधिकारियों के रूप में तैनात हैं, खोज और जब्ती करने के लिए अधिकृत हैं और प्रवीण व्यास, स्थायी S.H.O नहीं होने के कारण तलाशी

और जब्ती नहीं कर सकते थे, और इसलिए, दोषमुक्ति का निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता है।

9. बार द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, अधिनियम की असंशोधित धारा 42 का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि उक्त प्रावधान प्रासंगिक समय पर लागू था। अधिनियम की मूल धारा 42 को 2.10.2001 से 2001 के अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। संशोधन से पूर्व धारा 42 इस प्रकार थीः -

> "**42.** वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति-(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अन्तर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, ओषधि नियंत्रण, उत्पाद-शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया

जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी हैं, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच,-

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा;

(ग) ऐसी ओषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने

का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा ; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकेगा:

[परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो:

परंतु यह और किट यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(2) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहां वह उसकी प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा ।"

10. उपरोक्त खंड के अनुसरण में राजस्थान राज्य ने एक अधिसूचना सं. F.1 (3) FD/Ex/85-1 दिनांक 16.10.1986 जारी की, जो निम्नानुसार हैः -

"S.O. 115. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा सभी पुलिस निरीक्षकों और स्टेशन हाउस अधिकारियों के रूप में तैनात पुलिस के उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से उक्त

अधिनियम की धारा 42 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती हैः

परन्तु जब संबंधित क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक के अलावा अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और जब्त की गई वस्तुओं को तुरंत संबंधित पुलिस थाने के संबंधित पुलिस निरीक्षक या एस. एच. ओ. को सौंप देगा।"

11. उपर्युक्त अधिसूचना के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि स्टेशन हाउस अधिकारियों के रूप में तैनात पुलिस के उपनिरीक्षकों को राजस्थान राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 42 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था। अभिलेख पर ठोस और विश्वसनीय सबूत हैं कि रामेश्वर प्रसाद ने कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन छोड़ दिया था और उस समय, उन्होंने प्रवीण व्यास, पीडब्लू-2 को स्टेशन हाउस ऑफिसर का प्रभार दिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार किया है कि उन्हें रामेश्वर प्रसाद, पीडब्लू-9 द्वारा स्टेशन हाउस अधिकारी का अस्थायी प्रभार सौंपा गया था। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि वह पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात नहीं थे और जब लगभग 8.00 p.m. तक तलाशी और जब्ती हुई थी, रामेश्वर प्रसाद पहले ही पुलिस स्टेशन लौट चुके थे। जहाँ तक समय का सवाल है, हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं क्योंकि इस तरह के निष्कर्ष को नकारात्मक बनाने की

परिस्थितियाँ हैं। हालांकि, जहां तक प्रभार का सवाल है, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि वह प्रभारी स्टेशन हाउस अधिकारी थे। विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या वह तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकता था या अधिनियम की धारा 42 में निहित आवश्यकताओं का उल्लंघन किया गया है जिसके द्वारा पूरा मुकदमा आरम्भतः ही शून्य हो जाता है।

12. करनैल सिंह (उपर्युक्त) मामले में संविधान पीठ से अपेक्षा की गई थी कि वह बिना वारंट या प्राधिकरण के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के मामले में अधिनियम की धारा 42 के दायरे और प्रयोज्यता के संबंध में व्यक्त परस्पर विरोधी राय का समाधान करे। वृहद पीठ ने अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य और साजन अब्राहम बनाम कराला राज्य में निर्धारित अनुपात का विश्लेषण किया और राय दी कि अब्दुल राशिद में धारा 42 (1) और 42 (2) की आवश्यकताओं के साथ शाब्दिक अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी और इसी तरह संजय अब्राहम के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 42 (1) और 42 (2) की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान पीठ ने रिपोर्ट के पैरा 34 में निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः -

> "34. भारत में सेलुलर फोन और वायरलेस सेवाओं के आगमन ने तात्कालिक संदेशों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और उपयोगिता के बारे में कुछ अपेक्षाओं को सुनिश्चित

किया है। इस तकनीक ने इसके बारे में नीति निर्माताओं के बीच आम सहमति बनाते हुए पुलिस प्रशासन और जांच की प्रणाली में भाग लिया है। अब पिछले दो दशकों से पुलिस की जाँच एक बड़े बदलाव से गुजरी है। कानून प्रवर्तन अधिकारी कहीं भी आसानी से किसी भी जानकारी तक पहुँच सकते हैं, तब भी जब वे चलते-फिरते हों और पुलिस स्टेशन या उनके संबंधित कार्यालयों में शारीरिक रूप से उपस्थित न हों। परिस्थितियों के इस परिवर्तन के लिए, यदि आपात स्थिति की आवश्यकता होती है तो पुलिस स्टेशन या अधिनियम में अधिकृत अधिकारियों के संबंधित कार्यालयों में उन उद्देश्यों के लिए रखे गए रजिस्टर/रिकॉर्ड में मोबाइल फोन संचार द्वारा से एकत्र की गई जानकारी को रिकॉर्ड करना हर समय संभव नहीं हो सकता है। परिणामस्वरूप, यदि सूचना लिखने को अधिनियम की धारा 41 (2) और 42 (2) के तहत वैधानिक प्रावधान को एक अनिवार्य प्रावधान के रूप में व्याख्या की जाती है, तो यह आपातकालीन स्थिति की जल्दबाजी को निष्क्रिय कर देगा और आपराधिक तलाशी और जब्ती के संबंध में व्यर्थ हो सकता है। दोषियों/अपराधियों द्वारा दोषमुक्ति के लिए एक प्रमुख आधार के रूप में इन प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फलस्वरूप, इन प्रावधानों को एक

विवेकाधीन उपाय के रूप में लिया जाना चाहिए जिससे अधिनियम के दुरुपयोग की जांच हो सके, बजाए इसके कि कठोर नशीली दवाओं के विक्रेताओं को बचाया जाये।"

13. इस तरह के अवलोकन के बाद, संविधान पीठ ने पहले के दो फैसलों के प्रभाव को क्रमिक रूप से बताया। पैराग्राफ 35 (डी), वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

"(घ) जबकि धारा 42 की उप धारा (1) और (2) की अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से अनुपालना नहीं करना अनुज्ञेय है, विलंब के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालना धारा 42 का स्वीकार्य अनुपालन होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी देरी के परिणामस्वरूप अभियुक्त बच जाये या माल या साक्ष्य नष्ट कर दिया जाये या हटा दिया जाये, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई शुरू करने से पहले प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाना या ऐसी जानकारी की एक प्रति आधिकारिक वरिष्ठ को तुरंत नहीं भेजा जाना, धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। लेकिन यदि सूचना तब प्राप्त हुई थी जब पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय के साथ पुलिस स्टेशन में था, और यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करने में विफल रहता है, या इसकी एक

प्रति आधिकारिक वरिष्ठ को भेजने में विफल रहता है, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति होगी जो अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी तरह, यदि पुलिस अधिकारी जानकारी बिल्कुल भी दर्ज नहीं करता है, और अधिकारी वरिष्ठ को सूचित नहीं करता है, तो भी यह अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। धारा 42 का पर्याप्त या पर्याप्त अनुपालन है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तय किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है। 2001 के अधिनियम 9 द्वारा धारा 42 में संशोधन के साथ उपरोक्त स्थिति मजबूत हुई।"

14. यद्यपि सिद्धांत को एक अलग संदर्भ में कहा गया था, फिर भी उसमें निर्धारित उक्ति स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 42 (1) की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जा सकती है। प्रावधान शब्द "राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त" को नियोजित करता है| अधिसूचना में कहा गया है कि "स्टेशन हाउस अधिकारी के रूप में तैनात कोई भी उप निरीक्षक"। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को केवल इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया है कि रामेश्वर प्रसाद को स्टेशन हाउस अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था, न कि परवीन व्यास को, जिन्होंने तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का संचालन किया था। यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रवीण व्यास, पीडब्लू-2 को संबंधित समय पर स्टेशन हाउस

अधिकारी का अस्थायी प्रभार दिया गया था। उन्हें विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली। उसने अन्य आवश्यक आवश्यकताओं का पालन किया और आरोपी को फंसाने के लिए मौके पर गया। किसी भी प्रकार की देरी आरोपी को भागने की अनुमति देता। अधिसूचना के अनुसार एक पुलिस उपनिरीक्षक को स्टेशन हाउस अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है और संबंधित समय पर पीडब्लू-2 प्रभारी स्टेशन हाउस अधिकारी था। "पदस्थापित" शब्द को अनावश्यक महत्व देने का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में वे उस समय स्टेशन हाउस अधिकारी के पद के प्रभारी थे। हमारे सुविचारित विचार में, इस तरह का शाब्दिक और तकनीकी दृष्टिकोण करनैल सिंह के मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत को विफल कर देगा। इसलिए, उसके द्वारा की गई तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी आरम्भतः मुकदमे को अमान्य नहीं कर पाएगी। इस प्रकार, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करके गंभीर त्रुटि की है कि अधिनियम की खंड धारा (1) का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि पूरी कवायद एक ऐसे अधिकारी द्वारा की गई थी जो अधिकृत नहीं था।

15. उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, अपील की स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है और विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को बहाल किया जाता है।

विद्वत विचारण न्यायाधीश को प्रतिवादी की गिरफ्तारी के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है ताकि वह शेष सजा भुगत सके।

न्यायाधिपति [डॉ. बी.एस. चौहान]

न्यायाधिपति [दीपक मिश्रा]

नई दिल्ली;

28 मई, 2013

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।